प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 20.06.2024

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कडी कार्यवाही के क्रम में, हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अन्दर किया गया, गिरफ्तार।**
- **थाना रसूलाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डभारी में हुई हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित था, अभियुक्त। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद फावड़ा बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 20.06.2024 को वादी श्री आदित्य कुमार पुत्र स्व0 महावीर सिंह निवासी ग्राम डभारी जोत थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 253/2024 धारा 302/342/120बी/506/34 भा0द0वि0 बनाम 06 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मुखबरि की सूचना पर अभियुक्त औसान सिंह यादव पुत्र गंगाराम यादव निवासी ग्राम डभारी जोत थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 20.06.2024 को समय 10.15 बजे ढ़कपुरवा मोड से करीब 30 कदम की दूरी पर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त औसान सिंह यादव उर्फ नन्हे पुत्र गंगाराम उम्र करीब 35 वर्ष निवासी डभारी मजरा जोत थाना रसूलावाद जनपद कानपुर देहात ने पूछने पर बताया कि साहब मेरे गांव का अनिल यादव पुत्र स्व0 महावीर उम्र करीब 50 वर्ष मेरे घर के सामने रहता था, उसकी शादी नही हुई थी तथा वह मेरी पत्नी पर गलत नजर रखता था। मैंने अनिल यादव को कई बार समझाया गया था परन्तु वह नही मानता था और मेरे साथ गाली गलौज करता था। कल दिनांक 19.06.2024 को शाम लगभग 6.00 बजे अनिल यादव अपने घर से कुछ दूरी पर गली में खडा हुआ था मै फावडा लेकर अपने घर से निकलकर उसके घर के सामने से होता हुआ जब उसके पास पहुंचा तो वह मेरे साथ इसी बात को लेकर गाली-गलौज करने लगा। जब मैंने मना किया तो, उसने मेरे साथ हाथा पाई शुरू कर दी, मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया और मैने अपने हाथ में लिये फावडे से उसके सिर के पीछे तेज बार किये जिससे उसका सिर क्षत-विक्षत हो गया और तेज खून निकलने लगा। कुछ खून की छींटे मेरी पहनी हुई शर्ट पर भी पड गयीं और वह जमीन पर गिरते ही कुछ ही देर में मर गया। खून से लथपथ फावडा लेकर मैं मौके से भाग गया। आज मैं घटना में प्रयुक्त फावडे को गांव डभारी की सडक के पास स्थित पुलिया के अन्दर छिपाने के बाद पुलिस से बचने के लिये कन्नौज जा रहा था कि रास्ते में आपने पकड लिया यह घटना अकेले मेरे द्वारा ही की गयी है, जो

फावडा मैने आपको बरामद कराया है, उसी फावडे से मैंने अपने पडोसी अनिल यादव की हत्या की है, इस घटना में मेरे साथ अन्य कोई व्यक्ति नही था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

औसान सिंह यादव पुत्र गंगाराम यादव निवासी ग्राम डभारी जोत थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

आलाकत्ल रक्तरंजित फावड़ा

रक्तरंजित अभियुक्त द्वारा पहनी गयी शर्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार सोलंकी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

2.व0उ0नि0 श्री देवनारायण द्विवेदी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

3.उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

4.हे0का0 229 मोहित कुमार थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।